दिनांक 31.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 554 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा द्वारा आगामी त्योहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा/कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु दिए गए निर्देशों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्णा** एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, **श्री अमिताभ यश** द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को आगामी त्योहारों यथा धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज एवं छठ आदि के दृष्टिगत प्रदेश में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु ऑनलाइन बैठक के माध्यम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

1. प्रभावी एवं इंटेलिजेंट पेट्रोलिंग तथा बाजारों में पुलिस की उपस्थिति:

- व्यस्त बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर शाम के समय वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग की जाए।
- पेट्रोलिंग से पूर्व संबंधित क्षेत्र में घटित आपराधिक घटनाओं, अपराध के पैटर्न एवं पुलिसिंग से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण कर लिया जाए।
- फुट पेट्रोलिंग के दौरान केवल क्षेत्र में भ्रमण तक सीमित न रहते हुए स्थानीय दुकानदारों एवं आमजन से संवाद स्थापित कर क्षेत्र की समस्याओं एवं शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जाए तथा उनका मौके पर ही यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया जाए।
- क्षेत्र की संवेदनशीलता एवं अपराध की प्रकृति के अनुरूप प्रभावी पिकेट एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
- बीट पुलिसकर्मियों एवं बीट आरक्षियों को अपने क्षेत्र के गांवों एवं मोहल्लों में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं तस्करी से संबंधित दृश्य संकेतकों (Visible Indicators) की पहचान के लिए विशेष रूप से संवेदनशील एवं प्रशिक्षित किया जाए।
- बीट आरक्षियों को अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों, अवैध असलहों एवं संगठित अपराधियों के नेटवर्क के संबंध में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय बीट सूचनाएं संकलित करने हेतु नियमित रूप से ब्रीफ किया जाए तथा प्राप्त सूचनाओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- यूपी-112 की गाड़ियां आपातकालीन प्रतिक्रिया के साथ-साथ अपने निर्धारित क्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों में धीमी गति से निरंतर पेट्रोलिंग करें।
- विशेष रूप से शाम 6-7 बजे के बाद निर्धारित अंतराल पर सायरन बजाकर पुलिस की उपस्थिति प्रदर्शित की जाए।

2. यातायात व्यवस्था का प्रभावी संचालन:

- त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव एवं जाम की समस्या के दृष्टिगत ट्रैफिक ड्यूटी का पुनर्गठन किया जाए।
- उपलब्ध अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों का समुचित उपयोग करते हुए प्रमुख मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
- यातायात का सुचारु एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जाए।

3. पटाखों की दुकानों एवं भंडारण स्थलों की सुरक्षा:

- पटाखों की दुकानें खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर तथा मुख्य बाजार से अलग निर्धारित स्थानों पर लगाई जाए।
- सभी दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।
- दुकानों पर पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।
- प्रदेश में सभी अस्थायी पटाखा दुकानों एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की सघन जांच शीघ्र पूर्ण कराते हुए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- पिछले पांच वर्षों में पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं में हुई मौतों के दृष्टिगत दुर्घटनाओं एवं जनहानि की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए।

4. अग्निशमन व्यवस्था एवं विशेष सतर्कता:

- दीपावली से पूर्व से लेकर दीपावली एवं छठ पर्व तक अग्निशमन विभाग के कार्मिकों को अलर्ट रखा जाए।
- संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए।
- पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए जाए।

5. महिला सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन में सतर्कता:

- भैया दूज पर महिलाओं की आवाजाही बढ़ने के दृष्टिगत सार्वजनिक परिवहन एवं प्रमुख मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाए।
- बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती एवं नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए।
- महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस की उपस्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी रखी जाए।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था द्वारा अपराध नियंत्रण एवं संगठित अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देश:

- आपराधिक घटनाओं के खुलासे के उपरांत विवेचना एवं कार्रवाई को केवल घटना के अनावरण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि संलिप्त गैंग के पूरे नेटवर्क, उसके विस्तार एवं अंतर-जनपदीय संबंधों की गहनता से जांच की जाए।
- अभियुक्तों से गहन पूछताछ कर अवैध असलहों की आपूर्ति के स्रोत एवं पूरी सप्लाई चेन तथा मादक पदार्थों की तस्करी एवं आपूर्ति के नेटवर्क का पता लगाकर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए।

- जनपदीय पुलिस द्वारा किसी गैंग के खुलासे तक ही कार्रवाई सीमित न रखी जाए। गैंग के व्यापक नेटवर्क एवं अन्य जनपदों में उसकी गतिविधियों का पता लगाने हेतु एसटीएफ एवं अन्य जनपदों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी पुलिसिंग, सटीक सूचना संकलन एवं अपराधियों के नेटवर्क के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी पर्व शांति, सौहार्द एवं सुरक्षित वातावरण में सकुशल सम्पन्न हो सकें।





दिनांक 31.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 555/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सआदतगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.10.2026 को थाना सआदतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हंसनगर पुलिया तिकुनिया के पास पारा रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सआदतगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के थाना सआदतगंज पर हत्या आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सआदतगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश कुमार शुक्ला निवासी ब्राह्मणीटोला नौबस्ता थाना सआदतगंज, लखनऊ।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन्स

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की पीली धातु के आभूषण**
- **1112 ग्राम अवैध चरस**
- **1600/—रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 31.10.2026 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुटबाल ग्राउण्ड के पास तिराहा पर रेलवे हरथला कालोनी से अभियुक्त मौज्जम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की पीली धातु के आभूषण, 1112 ग्राम अवैध चरस, 1600/—रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, एनडीपीएसएक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मौज्जम निवासी ताजपुर माफी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लूट की पीली धातु के आभूषण।

2–1112 ग्राम अवैध चरस।

3–1600/–रूपये नगद।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 1204 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **1900/–रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन बरामद**

दिनांक 30.10.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरकछा खुर्द छितमपुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–गणेश उर्फ रमेश 2–शाबिर उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 1204 किलोग्राम अवैध गांजा, 1900/–रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गणेश उर्फ रमेश निवासी अल्हवा थाना हनुमना जनपद मऊगंज, म0प्र0।

2—शाबिर उर्फ लालू निवासी डेरा पथरावा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज म0प्र0।

बरामदगी

1—लगभग 06 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 1204 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—1900/—रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 22 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 31.10.2026 को थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—संदीप 2—आसिफ 3—देव 4—नूर मियां 5—फरमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 22 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप निवासी बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

2—आसिफ निवासी मोहल्ला व कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

3—देव निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

4—नूर मियां निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।

5—फरमान निवासी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की 22 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रामराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 05 हजार 500 रूपये कुल–04 लाख 22 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रामराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/323 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–रामअवतार 2–प्रदीप 3–कुॅवरपाल 4–जनेश्वर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 05 हजार 500 रूपये कुल–04 लाख 22 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना इकदिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लवकेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————